

**OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER
PASCHIMANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.
ELECTRICITY DISTRIBUTION CIRCLE,
BIJNOR**

Short Term E-Tender No.	:- 64/2021-22
Tender Cost	:- RS. 1180/- (in R.T.G.S./N.E.F.T. Extra)
Date of Opening	:- 16-03-2022 (11:00 AM)
Earnest	:- 3000.00 (IN R.T.G.S./N.E.F.T.)

IMPORTANT NOTE

- 1- Entire set may be submitted after completion of all entries in one link.
- 2- E-Tender Notice, instructions to Bidders, Special Conditions of Work/Supply and General Conditions may be studied in full before completion the tender.
- 3- Tenderers may contact Superintending Engineer, Electricity Distribution Circle, Bijnor office in regard to any enquiry if so required.
- 4- Each page of tender should be signed by the tenderer and stamped with their seal.
- 5- Part-A & Part-B of the Tender may be submitted website www.e-tender.up.nic.in.
- 6- E-Tender Cost and Earnest Money (R.T.G.S./N.E.F.T.).

Note:-In case of any amendment in tender specification or date extension, the same shall be uploaded on e-tender website www.etender.up.nic.in and www.pvvn.org

Superintending Engineer
Electricity Distribution Circle,
Bijnor

From,

.....
.....
.....

To,

**The Superintending Engineer
Electricity Distribution Circle,
Paschimanchal Vidut Vitran Nigam Ltd,
Bijnor.**

Dear Sir,

I/We hereby submit RTGS/NEFT Pay-in Slip No.
datedfor Rs. /- (Rupeesonly)
of(Bank) duly pledged in favour of the
Superintending Engineer, Electricity Distribution Circle, Bijnor, as earnest money against
Tender specification No. **/2021-22/(EDCB).**

Yours faithfully

**SIGNATURE OF THE TENDERER
WITH FULL ADDRESS AND SEAL**

Note :

1. **Cheques will not be accepted.**

TENDER PROFORMA

(To be filled in by the tenderer)

(Your tender shall not be considered if you fail to submit this Proforma duly filled in up. Replies should be complete without ambiguity and should be clearly written against each item. Terms such as refer covering letter etc. shall not be acceptable.)

Sl. No.	Particulars	Replies.
1	Specification No. against which you have tendered.	
2	Receipt No. date by which cost of tender Specification was deposited by you.	
3	Name and address of the Contractor/Firm	
4	Amount and form in which E/M deposited. Please give reference in this connection (Cheques will not be accepted.)	
5	Do you agree to all the conditions of the tender specification and if not, state modification clearly which you would desire in the general conditions of contract From 'B'/'A' (It may please be noted that it shall be entirely at the discretion of UPPCL to accept or reject the modification proposed).	
6	Please state clearly (Answer Yes/No.) if you would accept the order in case modifications in form 'A'/'B' are not acceptable to the Corpn. Without imposing any further condition/s from your side.	
7	What is the validity period of your tender.	

8	Name and detailed address of authorized representative to represent your firm against this tender (Proprietor/Partner/ Directors) : a) Name of Proprietor/Partner/Directors : b) Address : c) Mobile No. : d) e-mail address : e) G.S.T. No. : f) PAN No. :	
9	Please enclose a certified copy of the latest Income Tax Clearance certificate.	

Place :

Date :

**SIGNATURE OF THE TENDERER
WITH FULL ADDRESS AND SEAL.**

**OFFICE OF THE
SUPERINTENDING ENGINEER
ELECTRICITY DISTRIBUTION CIRCLE
BIJNOR**

E-Tender tender Specification No. T-/2021-22/(EDCB)

Due date of opening Cost of Tender documents Rs.....only

Received in RTGS/NEFT of vide pay-in slip No. dated

Tender issued by the Superintending Engineer, Electricity Distribution Circle, Bijnor to

M/S

.....

.....

Issued by-

**Superintending Engineer,
Electricity Distribution Circle
BIJNOR**

DECLARATION TO BE SIGNED ON A NON JUDICAL STAMP PAPER OR
Rs.10/- ONLY

SUPERINTENDING ENGINEER
ELECTRICITY DISTRIBUTION CIRCLE
BIJNOR .

.....

.....

.....

.....

Firm name along with seal

अल्पकालीन ई-निविदा विशिष्टीकरण संख्या 64 / 2021-22 हेतु आवश्यक नियम/शर्त:-

- 1-अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल बिजनौर के पक्ष में पैजाब नेशनल बैंक, सिविल लाईन, बिजनौर के खाता सं० 0056002100017464, IFSC Code PUNB0005600 में दिनांक 16.03.2022 को 10:00 बजे तक निविदा शुल्क रुपये 1180.00 एवं धरोहर राशि रुपये 3000.00 जमा होना चाहिये) ऑन लाईन/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा जमा करने का प्रमाण पत्र/अभिलेख (यू0टी0आर0 नं०) निविदा के प्रथम भाग के साथ संलग्न किये जाये। निविदा का प्रथम भाग दिनांक 16.03.2022 को 11:00 बजे खोला जायेगा।
- 2-निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि अलग-अलग जमा होनी चाहिए।
- 3-निविदा में संलग्न आवश्यक अभिलेखों की प्रति पढ़ने योग्य स्पष्ट दर्शनीय तथा फर्म के स्टाम्प लगाकर फर्म स्वामी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित बिड स्वतः निरस्त मानी जायेगी। जिसके लिए ठेकेदार/फर्म स्वयं जिम्मेदार होगा/होगी।
- 4-निविदा के प्रथम भाग की सभी नियम/शर्तें पूर्ण होने के उपरान्त ही निविदा का द्वितीय भाग खोला जायेगा।
- 5- यदि निविदा प्रपत्र में प्रत्येक कालम पूर्ण नहीं भरा गया तो निविदा प्रपत्र निरस्त किया जा सकता है।
- 6-फर्म/ठेकेदार के बीजकों से आयकर की कटौती आयकर नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
- 7-फर्म/ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण (टी0 एण्ड पी0) की उपलब्धता अपने स्तर से सुनिश्चित की जायेगी।
- 8-दुर्घटना की दशा में सम्बन्धित श्रमिकों को क्षतिपूर्ति सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा वहन की जायेगी।
- 9-वाहन का रजिस्ट्रेशन 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- 11-वाहन के समस्त प्रपत्र यथा आर0सी0, बीमा एवं सहमति पत्र स्पष्ट रूप से दर्शनीय होने चाहिए अन्यथा की स्थिति में बिड निरस्त की जा सकती है।
- 12-वाहन की आर0सी0 डीजल चलित वाहन की होनी चाहिए अन्यथा की स्थिति में बिड निरस्त मानी जायेगी।
- 13-किसी भी फर्म के आपस में दस्तावेज समान नहीं होने चाहिए। समान होने की स्थिति में बिड को निरस्त माना जायेगा।
- 14-निविदा के प्रथम भाग में निम्नलिखित अभिलेख संलग्न होने आवश्यक है, अन्यथा निविदा का द्वितीय भाग नहीं खोला जायेगा :-
 - (क) निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि के आरटीजीएस/एनईएफटी का विवरण एवं जमा किये जाने का प्रमाण की प्रति।
 - (ख) जिलाधिकारी से प्रमाणित फर्म स्वामी के चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति।
 - (ग) जी0एस0टी0 में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
 - (घ) निविदादाता को 10रु के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र इस आशय का देना होगा कि उसकी फर्म को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत किसी भी डिस्कॉम में काली सूची में नहीं डाला गया है तथा न ही भारत के अन्दर किसी अन्य संस्थान में उनकी फर्म काली सूची में रही है।
 - (ङ) निविदादाता का टर्नओवर निविदा की कुल अनुमाति लागत का 1.5 गुना या उससे अधिक होना चाहिए।
 - (च) फर्म के स्वामी का पैनकार्ड एवं आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
 - (छ) नोटरी से वैध सत्यापित शपथ पत्र (निविदा प्रपत्र में संलग्न प्रारूप में)
 - (ज) अद्यतन आई0टी0आर0 की छायाप्रति।
 - (झ) विभाग में किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के कार्य का सन्तोषजनक अनुभव प्रमाण की प्रति।
 - (ञ) वाहन के रजिस्ट्रेशन तथा अद्यतन बीमे की छायाप्रति।
 - (ट) वाहन निविदाकार फर्म के अलावा किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म के नाम पंजीकृत होने की दशा में वाहन मालिक द्वारा निविदाकार के पक्ष में सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (ड) वाहन में किसी भी प्रकार का ट्रेसेबल डिवाइस न लगा हो यदि लगा हो तो निष्क्रिय होना चाहिए।
 - (ढ) फर्म/ठेकेदार निविदा भरने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जो वाहन की आर0सी0 उपलब्ध करायी जा रही है, वो किसी अन्य जगह प्रयोग में न हो। वर्तमान में या बाद में कभी भी ऐसा संज्ञान में आने पर विभागीय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अन्य नियम व शर्तें:—

1. वाहन का मॉडल 03 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए।
2. वाहन एवं चालक की उपलब्धता 24 घंटे रहेगी।
3. वाहन में डीजल विभाग द्वारा नियमानुसार अनुसार डलवाया जाएगा। वाहन से सम्बन्धित अन्य वस्तुएँ जैसे मोबिल ऑयल, ब्रेक ऑयल, वाहन की सर्विस एवं चालक की रात्रिकालीन शिफ्ट का भुगतान ठेकेदार को करना होगा। विभाग द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. गाड़ी खराब होने की स्थिति में फर्म का दायित्व होगा कि दूसरी गाड़ी 02 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करायेगी अन्यथा की स्थिति में फर्म पर ₹0 200.00 प्रति घण्टे की दर से पेनाल्टी (जिस अवधि में गाड़ी उपलब्ध नहीं होगी) फर्म के बीजक से काटी जायेगी तथा उस दिन के वाहन के किराये का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
5. ड्राइवर की उपलब्धता 24:00 घण्टे रहेगी तथा ड्राइवर की अनुपस्थिति होने की स्थिति में फर्म का दायित्व होगा कि दूसरे ड्राइवर को 02 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करायेगी अन्यथा की स्थिति में फर्म पर ₹0 200.00 प्रति घण्टे की दर से पेनाल्टी (जिस अवधि में ड्राइवर उपलब्ध नहीं होगा) फर्म के बीजक से काटी जायेगी तथा उस दिन के वाहन के किराये का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
6. मार्ग कर तथा वाहन के बीमा का उत्तरदायित्व वाहन स्वामी का होगा।
7. अनुबन्ध की अवधि में किसी भी दुर्घटना का उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।
8. वाहन चालक का वेतन एवं अन्य भत्ते आदि को वाहन स्वामी द्वारा ही वहन किया जायेगा।
9. वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना अति आवश्यक है।
10. वाहन स्वामी अपना बिल अगले माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे जिसका मासिक भुगतान धन उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
11. निविदा में माँगे गये प्रपत्रों के अतिरिक्त अनावश्यक प्रपत्र न लगाये जायें अनावश्यक लगाये प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. वाहन से किसी भी असुविधा होने पर अनुबन्ध को प्रथम नोटिस पर भी निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिये अनुबन्धकर्ता किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही नहीं करेगा।

अधीक्षण अभियन्ता